निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 83/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सुरेश पुत्र रामू जाति मीणा निवासी बी–376, बक्शावाला, जे डी ए स्कीम क्वाटर, सांगानेर, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, मुख्यालय सांगानेर, पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नायक आर०ए०एस०

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर० टी० ए० एक्ट 1955 बावत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 250/2018 ब उनवानी मनफूली बनाम ललिता व अन्य।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 12.07.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 250/2018 ब उनवानी मनफूली बनाम ललिता व अन्य विचाराधीन है। उक्त पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल बैंच जयपुर द्वारा चाही जाने के पश्चात भी नही उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा नहीं भिजवाई जा रही है। इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई।
3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2021 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर बैंच जयपुर के समक्ष प्रार्थी ने दिनांक 24.03.2022 को निगरानी पेश की जिसमें उक्त उनवानी वाद की पत्रावली को तलब कर अगामी पेशी 12.05.2022 नियत की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर बैंच जयपुर के आदेश की पालना में जारी अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाने हेतु तहरीर दस्ती जारी की जा कर प्रार्थी को दी गई जो प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.03.2022 को ही दे दी गई और नियत पेशी दिनांक 06.04.2022 को प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नायक से निवेदन

जिला कलक्टर
जयपुर

किया कि वाद पत्रावली को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर बेंच जयपुर में भेजा जावे। इस पर पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नायक ने कहा कि दस्ती तहरीर पर डिस्पेच नम्बर नहीं होने के कारण पत्रावली नही भेजी जा सकती । इस पर प्रार्थी के वकील ने निवेदन किया और दिनांक 206.04.2022 को बेंच के रीडर की अधीनस्थ न्यायालय के रीडर से बात करवाई कि कैम्प की दस्ती तहरीर में डिस्पेच नम्बर नहीं डाले जाते है । क्योंकि डिस्पेच रजिस्टर अजमेर मुख्यालय पर ही रहता है। इस पर पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी से कहा कि मुझे दस्ती तहरीर मेल करवा दो, उसके बाद ही पत्रावली भेजूंगा। इस पर प्रार्थी दिनांक 06.04.2022 को ही न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर बेंच जयपुर मे गया और पी ए साहब से तहरीर मेल करवा दी। तहरीर मेल के बावजूद भी वाद पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर बेंच जयपुर को नहीं भेजी जा कर वाद पत्रावली को आगामी पेशी दिनांक 13.04.2022 को फैसल कर दी जायेगी। पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नायक के उक्त रवैये के कारण प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय मुख्यालय सांगानेर के पीठासीन अधिकारी ने श्री राजेश नायक से पारदर्शी न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही है। इसलिए प्रार्थी वाद को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करना चाहता है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के कमांक नई/2022/तारीख पेशी 12.05.2022 तलब की जाकर पत्र दिनांक 24.03.2022 दस्ती जारी किया गया है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पत्रावली अभी तक माननीय राजस्व मण्डल अजमेर बेंच जयपुर को नहीं भिजवाई गई है। चूंकि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर बेंच जयपुर द्वारा चाही जा रही है । इसलिए प्रार्थी के अनुरोध पर इस प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है किं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर बेंच जयपुर द्वारा चाही गई उक्त पत्रावली सात दिवस में जयपुर बेंच को भिजवाना सुनिश्चित करे।

7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक **12.07.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर